



-प्रेस नोट-

थाना हापुड़ देहात

दिनांक 24.04.2021

थाना हापुड़ देहात पुलिस द्वारा आदर्श आचार संहिता/कोविड-19 महामारी अधिनियम/धारा 144 सीआरपीसी का उल्लंघन कर ई-रिक्शा पर लाउडस्पीकर बांधकर बिना अनुमति व बिना मास्क के प्रधान पद के प्रत्याशी के समर्थन में चुनाव प्रचार कर रहे एक आरोपी को ई-रिक्शा सहित गिरफ्तार किया गया ।

कार्यवाही:-

जनपद हापुड़ पुलिस द्वारा आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को सकुशल एवं निष्पक्ष कराये जाने हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना हापुड़ देहात पुलिस द्वारा आदर्श आचार संहिता/कोविड-19 महामारी अधिनियम/धारा 144 सीआरपीसी का उल्लंघन कर ई-रिक्शा पर लाउडस्पीकर बांधकर बिना अनुमति/ बिना मास्क के प्रधान पद के प्रत्याशी के समर्थन में चुनाव प्रचार-प्रसार कर रहे एक आरोपी को ई-रिक्शा सहित गिरफ्तार किया गया ।

उपरोक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना हापुड़ देहात पर मु0अ0सं0 164/21 धारा 188,269,270,171(J) भादवि व धारा 03 महामारी अधिनियम पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

परवेज पुत्र मौ0 यामीन नि0 ग्राम गौंदी थाना हापुड़ देहात जनपद हापुड़ ।

बरामदगी का विवरण:-

चुनाव प्रचार-प्रसार करने में प्रयुक्त ई-रिक्शा मय लाउडस्पीकर न0 UP37T 8017.

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1-उ0नि0 बनी सिंह थाना हापुड़ देहात जनपद हापुड़ ।
- 2-है0का0 84 भगत सिंह थाना हापुड़ देहात जनपद हापुड़ ।
- 3-है0का0 154 संजीव कुमार थाना हापुड़ देहात जनपद हापुड़ ।